

# कयर बोर्ड / COIR BOARD

भारत सरकार / Government of India  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय / Ministry of MSME,  
एम. जी. रोड, कोच्ची / M.G. Road, Kochi – 682016.

File No: I-11011(17)/2/2024-ERS

15.03.2024

## CIRCULAR

### **Sub: Strict Adherence to General Finance Rules (GFR) in Procurement Processes of Goods and Services**


- Ref.: 1. Circular No. G-28024/1/2015 B&A dated 26.05.2017**  
**2. Circular No. A-59/52/2016-ADM(Establishment) dated 13.12.2017**  
**3. Circular No. A/6/2017-ADM(Establishment) dated 24.02.2020**

In several instances, despite of repeated reminders and circulars, it has been noticed that some of the sub-offices are not adhering to the instruction in connection with procuring goods & services. It is mandatory that General Finance Rules (GFR) has to be complied with in all government department upholding transparency, accountability, and efficiency in all procurement endeavors within the Coir Board. Any action in violation of GFR and above instruction will be viewed seriously and action against the delinquent will be taken accordingly.

It is reiterated that all officials in the field offices are directed to strictly adhere to the GFR and procedural requirements while procuring goods and services. The following directives should also be rigorously followed scrupulously.

1. All procurement activities must be executed in strict accordance with the provisions outlined in the General Finance Rules, exercising due diligence at all stages.
2. Prior approval from the Competent Authority must be obtained for procurement, wherever applicable, ensuring adherence to established procedures.
3. Timelines specified for tender floating must be strictly adhered to, without exception, to streamline the procurement process and promote efficiency.
4. Proper certification and meticulous stock entry must be maintained on all bills, as per the stipulations laid out in the General Finance Rules, to ensure accurate record-keeping.
5. Original bills/invoices are to be retained at the respective offices for audit purposes, facilitating transparency and accountability in financial transactions.

This issues with the approval of Chairman, Coir Board.

  
Deputy Director (ERS)

To

1. All Sub-Offices / Showrooms of Coir Board
2. Website
3. E-Office Notice Board

# कयर बोर्ड / COIR BOARD

भारत सरकार / Government of India

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय / Ministry of MSME,  
एम. जी. रोड, कोच्ची / M.G. Road, Kochi – 682016.

File No: I-11011(17)/2/2024-ERS

15.03.2024

## परिपत्र

विषय : वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रक्रियाओं में सामान्य वित्त नियमों (जी एफ आर) का सख्ती से पालन करना।

- संदर्भ: 1. परिपत्र सं. जी-28024/1/2015 बी एंड ए दिनांक 26.05.2017  
2. परिपत्र सं. ए-59/52/2016-प्रशासन (स्थापना) दिनांक 13.12.2017  
3. परिपत्र सं. ए/6/2017-प्रशासन (स्थापना) दिनांक 24.02.2020

यह देखा गया है कि, कई मामलों में, बार और अनुस्मारकों बार-परिपत्रों के बावजूद, कुछ उप और वस्तुओं कार्यालय-निर्देशों में संबंध के खरीद की सेवाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। यह अनिवार्य है कि, कयर बोर्ड के भीतर सभी खरीद प्रयासों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बनाए रखने के लिए सभी सरकारी विभागों में सामान्य वित्त नियमों का चाहिए। जाना किया अनुपालन जीएफआर और उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन में किसी भी कार्रवाई को, गंभीरता से लिया जाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

यह दोहराया जाता है कि फील्ड कार्यालयों के सभी अधिकारियों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के दौरान जीएफआर और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। निम्नलिखित निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

1. सभी खरीद गतिविधियों को सामान्य वित्त नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निष्पादित किया जाना चाहिए और सभी चरणों में उचित परिश्रम करना चाहिए।
2. स्थापित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुए, जहां भी लागू हो, खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
3. खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, बिना किसी अपवाद के, निविदा जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
4. रिकॉर्ड का सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, सामान्य वित्त नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, सभी बिलों पर उचित प्रमाणीकरण और सावधानीपूर्वक स्टॉक प्रविष्टि को बनाए रखा जाना चाहिए।
5. वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही की सुविधा के लिए मूल बिल/चालान को ऑडिट उद्देश्यों के लिए संबंधित कार्यालयों में रखा जाना चाहिए।

यह अध्यक्ष, कयर बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

क. विरजी

उप निदेशक (ईआरएस)

सेवा में,

1. कयर बोर्ड के सभी उप कार्यालय/ शोरूम
2. कार्यालय वेबसाइट
3. ईबोर्ड नोटिस ऑफिस-